


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 8 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमायि/बाउमायि)	जन्मतिथि	सेवा में नियुक्ति तिथि/पद	पद पर कार्यग्रहण तिथि	पद पर नियमित नियुक्ति तिथि	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	रिक्तपी स्वीकृति तिथि	वेतन बैंड	स्वीकृत ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुनीता कुमारी, श0क0 जे0पी0 जानू राउमायि झुंझुनू	01/07/1977	23/07/2007 व्या	23/07/2007	RPSC 2006	10 वर्ष	23/07/2017	9300-34800	5400
2	मनफूल सिंह,गोटडा भूकरान -धौंद- सीकर	06/06/1975	08/08/2007 व्या	08/08/2007	RPSC 2006	10 वर्ष	08/08/2017	9300-34800	5400
3	राजयिन्द्र कौर, नई मंडी घडसाना- गंगानगर	17/06/1982	07/08/2007 व्या	07/08/2007	RPSC 2006	10 वर्ष	07/08/2017	9300-34800	5400
4	शंकरलाल शर्मा, मलसीसर - हनुमानगढ	10/09/1965	01/07/1996 व.अ.	03/05/2015	DPC 2013-14	20 वर्ष	01/07/2016	9300-34800	5400

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यात्याध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाये ।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/एसीपी/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 03- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 04- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 05- निजी एवं रक्षित पत्रावली

दिनांक :- 18-6-19



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान, सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017(NO F.15(1)FD/RULES/2017 JAIPUR- DATED 30-10-17& 09-12-2017) के अनुसार निम्नांकित व्याख्याता हिन्दी को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 8 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/बाउमावि)	जन्मतिथि	सेवा में नियुक्ति तिथि/पद	पद पर कार्यग्रहण तिथि	पद पर नियमित नियुक्ति तिथि	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	एसीपी स्वीकृति तिथि	PAY MATRIX LEVER NO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रूपचन्द वर्मा, श्रीमाधोपुर - सीकर	01/04/1975	12/12/1998 व03A0	19/07/2016	DPC 16-17	20 वर्ष	12/12/2018	L-13
2	सुषमा यादव, बा0सादुलशहर -- श्रीगंगानगर	21/08/1974	30/12/1998 व03A0	18/07/2016	DPC 16-17	20 वर्ष	30/12/2018	L-13
3	जयश्री यादव, सातौर - झुंझुनू	11/12/1964	01/07/1998 व03A0	20/09/2015	DPC 15-16	20 वर्ष	01/07/2018	L-13
4	समुद्र राम, ककरना- उदयपुरवाटी- झुंझुनू	06/11/1962	01/07/1988 A0	13/09/2015	DPC 15-16	30 वर्ष	01/07/2018	L-13
5	शशि कुमार शर्मा, बालाहेडी - महवा - दौसा	06/12/1972	20/11/1997 व03A0	04/06/2013	DPC 12-13	20 वर्ष	20/11/2017	L-13
6	यादराम, गागियासर -फतेहपुर - सीकर	05/06/1969	11/11/1997 व03A0	08/07/2015	DPC 13-14	20 वर्ष	11/11/2017	L-13

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा । इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें ।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

बीकानेर

कर्मांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/एसीपी/2018/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा


02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

03- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु

04- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक

05- निजी एवं रक्षित पत्रावली

दिनांक :- 18-6-19


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--: कार्यालय-आदेश:--

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2017(NO F.15(1) FD/RULES/2017 JAIPUR-DATED 30.10.2017&09.12.2017) के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी)स्वीकृत की जाती है।

क.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि	वेतन बेण्ड/पे मैट्रिक्स	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मैट्रिक्स लेवल नं.	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुरजीत सिंह, गिलवाल हनुमानगढत्र	01.4.1966	समाजशास्त्र	23.2.1991	RPSC	20 वर्ष	9300-34800	13-10-14	23.2.2011
2	बबीता जैन, बा. बीगोद भीलवाडा	23.3.1968	अर्थशास्त्र	07.1.1997	RPSC	20 वर्ष	15600-39100	6000	07.1.2017

उक्त कार्मिको का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई0ए0एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19

दिनांक - 18/06/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. संबंधित संस्था प्रघान राउमावि./राबाउमावि.....
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुमाग, कार्यालय-हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

-कार्यालय-आदेश-

अनीस अहमद (व्याख्याता उर्दू) राउमावि. सियाणी, रामसर, बाड़मेर जन्मतिथि 26.04.1970 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 20.07.2019 से 10.09.2019 तक 53 दिवस की हज यात्रा 2019 (अजीजीया कॉलोनी, मक्का शहर, सउदी अरब) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् अपने यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्त पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे:-
 - (अ) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (ब) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (स) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (द) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय 1970 मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/विदेश अनुज्ञा/17

दिनांक:- 18/06/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कार्मिक.....
6. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017(NO F.15(1)FD/RULES/2017 JAIPUR-DATED 30.10.2017&09.12.2017)के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (राजनीति विज्ञान) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंशा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र स	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन (राउमावि/राबाउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन ग्रेड/ पे मैट्रिक्स	स्वीकृत ग्रेड वेतन/ पे मैट्रिक्स लेवल नं.	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुनीला - रिवाली, बहरोड, अलवर	28.04.72	23.12.98	डीपीसी 16-17	II 20वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	23-12-18
2	आभा बंसल - सेहला, चूरु	26.09.61	20.09.86	RVERS	III 30वर्ष	15600-39100	6600	20-09-16
3	विवेन्द्र सिंह यादव - गण्डाला, अलवर	10.12.68	01.07.98	डीपीसी 13-14	II 20वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	01-07-18
4	कमलेश कुमार - नीदड, जयपुर	01.08.62	04.07.87	डीपीसी 09-10	III 30वर्ष	15600-39100	6000	04-07-17
5	आरती यादव - हीरापुरा, जयपुर	08.10.73	10.12.98	डीपीसी 16-17	II 20वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	10-12-18
6	सतीश कुमार यादव - बर्डोद, अलवर	01.01.73	24.12.97	डीपीसी 13-14	II 20वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	24-12-17
7	रामस्वरूप सोमरा - कालडी, नागौर	19.08.77	20.12.03	RPSC	I 10वर्ष	9300-34800	5400	20-12-13
8	बाबूलाल मीणा - बिरमी, झुझुनू	13.06.72	16.12.98	डीपीसी 15-16	II 20वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	16-12-18
9	रमेश चन्द्र सामरिया - रायसर, जयपुर	05.06.69	26.11.97	डीपीसी 13-14	II 20वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	26-11-17

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- 'शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/एसीपी/2018-19

दिनांक:- 18 /06/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 03- सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 04- संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि.....।
- 05- संबंधित कार्मिक.....।
- 06- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर